

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 149/19

तारीख दायर 25/06/2019

1. भवानीलाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बड़वा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. मांगीलाल मुतबना उंकार जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बड़वा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मोहनलाल पिता खेमा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बड़वा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. गोपाललाल पिता खेमा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बड़वा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सुगनलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बड़वा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. खाना पिता भूरा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बड़वा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. बालु पिता भूरा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बड़वा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 30.12.2020

प्रार्थना पत्र भवानीलाल धाकड ने जरिये अभिभाषक श्री अनिल कुमार धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम बड़वा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 41 पर अंकित आराजी संख्या 136 रकबा 0-09 बीघा भूमि स्थित है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 207 -207 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडौंसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उम्र 51 का रेवेन्यू को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /- रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बड़वा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 41 पर अंकित आराजी संख्या 136 रकबा 0-09 बीघा भूमि की बशामलात पडौंसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा